(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 34/2023
दिनांकः– 13 अक्तूबर, 2023

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.10 (i) में संशोधन।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.10 (i) के प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा 4.10 (i)	**संशोधित पैरा 4.10 (i)**
विनिर्माण प्रयोजन हेतु कंपनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित या प्राप्त किसी शुल्क मुक्त माल का हस्तांतरण क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना के साथ किया जाएगा। ऐसी हस्तांतरित निविष्टि पर कोई निविष्टि कर क्रेडिट के लाभ का दावा नहीं किया जाएगा।	विनिर्माण प्रयोजन हेतु कंपनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित या प्राप्त किसी शुल्क मुक्त माल का हस्तांतरण क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना के साथ किया जाएगा। **आयातित या स्वदेशी रुप से प्राप्त शुल्क मुक्त सामग्री के हस्तांतरण के मामले में एक ही राज्य या विभिन्न राज्यों में स्थित इकाइयों के बीच जिस पर जीएसटी का भुगतान किया गया है, निविष्टि कर क्रेडिट का लाभ जीएसटी कानून एवं इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिशासित होगा।**

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.10 (i) को व्यापार करने में सुगमता एवं लेन–देन लागत को कम करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.10 (i) के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के संबंध में आईजीएसटी भुगतान की गई सामग्री पर निविष्टि कर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
13.10.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/028/एएम24/पीसी–4 से जारी)